संख्या– 1870 / क0नि0–6–2017–1(बी) / 2017

प्रेषक,

**राजेन्द्र सिंह मौर्य,**
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
3. **कृषि निदेशक, उ0प्र0।**
4. **राज्य सूचना विज्ञान, एनआईसी लखनऊ।**

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2017

**विषयः– फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत शिकायतों के निस्तारण किये जाने के संबंध में।**

**महोदय,**

अवगत कराना है कि लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के शासनादेश संख्या–540 बी / क0नि0–6–2017–1–(बी) / 2017 दिनांक 24 जून, 2017 के माध्यम से प्रसारित की गयी है। योजना के अध्याय–6 में शिकायत निवारण पोर्टल की व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार एनआईसी द्वारा फसल ऋण मोचन योजना से संबंधित शिकायत निवारण तथा योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक पोर्टल विकसित किया गया है। इस अनुक्रम में शासनादेश संख्या–1834 बी / क0नि0–6–2017–1(बी) / 2017 दिनांक 06.12.2017 द्वारा फसली ऋण मोचन योजना के तहत शिकायतों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2017 निर्धारित की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत शिकायतों को समयबद्ध रूप से निष्पादित कराये जाने हेतु समयसारिणी के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करे :–

**समय सारिणी**

| क्रं0 सं0 | कार्यवाही | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | पोर्टल पर शिकायतें प्राप्त करने की अंतिम तिथि | 31.12.2017 |
| 2. | जिला स्तरीय समिति द्वारा शिकायतों एवं उससे संबंधित प्रपत्रों की सत्यता की जांच अंतिम | 15.01.2018 |
| 3. | जिला स्तरीय समिति द्वारा पोर्टल पर डिमाण्ड जनरेट करने की अंतिम तिथि | 20.01.2018 |

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

...2

d:entertainment tax:diwakar

Scanned by CamScanner

संख्या-1870 (1)/कoनि0-6-2017-1(बी)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त/सहकारिता/आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त/कृषि/राजस्व/सूचना, उ0प्र0 शासन।
(5) विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
(6) महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0 शासन।
(7) निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0।
(8) संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner